

07/02/18

पत्रावली पैसा/ वकील ५।१०।१७ अनु०। चूंकि
मूल वाड कदम परवी/ हाजरी में खारीज हो
चुका है अतः आवेदन में फांसे की कार्यवाही
का कोई अंगुचित्य नहीं रह, अतः आवेदन
इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।
पत्रावली जिसल सुमार होकर कायिल पत्र है

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन